

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट—लुहारिया तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी:— श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—230/2014 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा ~~188~~—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1—श्री भैरूलाल पिता मोहनलाल दरोगा, उम्र बालिग निवासी दांता (लुहारिया) तहसील
मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2—श्रीमति राजूदेवी पत्नि भैरूलाल दरोगा, उम्र बालिग निवासी दांता (लुहारिया)
तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

— --वादीगण

बनाम


1—श्रीमति नानूदेवी पत्नि लक्ष्मण वैष्णव, उम्र बालिग निवासी दांता(लुहारिया) तहसील
मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2—श्रीमति शांति देवी पत्नि जगदीश वैष्णव, उम्र बालिग निवासी दांता (लुहारिया)
तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

— --प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से — एडवोकेट और प्रतिवादीगण की
ओर से श्री — एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 9.5.
2016 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता
है कि और डिक्री की जाती है कि — और इस मद के खर्च जेखों प्रतिशत
रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष को दर
से ब्याज सहित द्वारा राशि — को दी जायें।

वादीगण का वाद पत्र आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया
जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के स्थायी निषेधाज्ञा इस
आशय की जारी की जाती है कि ग्राम लुहारिया, पटवार हल्का लुहारिया तहसील
मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1572/786 रकबा 5 बिस्वा,
1498/786 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि में किसी प्रकार
का नया रास्ता न तो स्वयं कायम करे, न किसी अन्य से करायेगे। प्रतिवादीगण के
खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता
है। पत्थरगढ़ी किये जाने के दौरान अगर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कब्जा पाया


(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मांडल

जाता है तो उसे बेदखल कर रास्ते के रूप में उपयोग-उपभोग करेंगे। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(देवी सिंह रावत)

पी.आर.ओ.एस.ओ.

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलेक्टर माण्डल

आज दिनांक 9.5.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर

से जारी की गयी

(देवी सिंह)

उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड जिला सीलमाड़ा

पदेन सहायक कलेक्टर माण्डल